

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती रीना, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं० 58/2023

श्री हंसराज गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री इन्दरजीत —खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक—
मै० श्रीबालाजी इन्टरप्राइजेज, शाप नं. 20, रिद्धिसिद्ध इन्कलेव, -2, श्रीगंगानगर।

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/52

निर्णय

दिनांक: 31.01.2025

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 02.12.2022 के गजट में भाग 1 (ख) पर प्रकाशित हुआ है व परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुत (खाद्य सुरक्षा) निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के आदेश कंमांक आयुक्ता०/ खासुओनि/संस्था/2022/6235 दिनांक 22.12.2022 के अनुसार जिला श्री गंगानगर किया गया एवं संसोधित आदेश क्रमांक आयुक्ता०/ खासुओनि/संस्था/2022/6360 दिनांक 26.12.2022 है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियाँ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 23.03.2023 को समय दोपहर 03:00 पीएम बजे को मैसर्स— श्री बालाजी इन्टरप्राइजेज, शाप न. 20 रिद्धी सिद्धी इन्कलेव 2, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर पर पहुँचा मोके पर विक्रेता मुकेश कुमार पुत्र श्री इन्दरजीत को अपना परिचय दे कर निर्माण संरधान पर रखे लाल मिर्च पाउडर (उज्जवल ब्राण्ड) के बारे में जानकारी चाही इस पर विक्रेता ने स्वयं को संस्थान का मालिक बताया तथा संस्थान में रैक पर रखे 12 पोली पैक लाल मिर्च पाउडर (उज्जवल ब्राण्ड) 500-500 ग्राम के बेचान वास्ते बताया जिनमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता से लाल मिर्च पाउडर (उज्जवल ब्राण्ड) नमूना जाँच वास्ते लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न. 5ए भरकर देते हुऐ वयक्त की गोके पर ही विक्रेता को फॉर्म न. 5 ए भरकर दीया जिस पर विक्रेता व गवाहन के व मेने हस्ताक्षर किये। फार्म न 5ए न्याय निर्णयन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण करने पर पाया कि वास्ते विक्रय हेतु उपलब्ध लाल मिर्च पाउडर (उज्जवल ब्राण्ड) 4 मूल 500 ग्राम शील्ड पैक के विक्रेता से खरीद कर लिया। विक्रेता का मौके पर ही उक्त कयशुदा लाल मिर्च पाउडर (उज्जवल ब्राण्ड) का नगद भुगतान 600 रूपये किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर है और आवेदक के भी हस्ताक्षर हैं। केशमीमो न्यायनिर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।



2025
अति० जिला कलेक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5 ए की प्रतियाँ तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री मुकेश कुमार एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक श्री मुकेश कुमार को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5 ए मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा लाल मिर्च पाउडर (उज्ज्वल ब्राण्ड) 2 किलो ग्राम को 4 मूल 500 ग्राम शील्ड पैक को गत्ता बॉक्स में पैक कर इन चारों पर लेबल तैयार कर विपकाये और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक के 1721 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्री गंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. के-1721 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गाँद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना गाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना गाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आयें। धारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढ़कर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री मुकेश एवं गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं 06 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियाँ और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :-:L.S./420/Act/2023/420 Dated 11.04.2023 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना K-1721 Misbranded Food होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री इन्द्रजीत, मैसर्स- श्री बालाजी इन्टरप्राइजेज, शॉप न. 20 रिद्धी सिद्धी इन्कलेव 2, श्रीगंगानगर, जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर का लाल मिर्च पाउडर (उज्ज्वल ब्राण्ड) का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 18.07.2023 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया कि अप्रार्थी एक छोटा दुकानदार है और निर्दोष है। प्रार्थी ने उक्त मिर्च में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दौबारा नही करेगा प्रार्थी के साथ नरमी का रुख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित हो कर अपना जुर्म स्वीकार करता है प्रार्थी के साथ नरमी का रुख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे आपकी अति कृपा होगी।



(Signature)
अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया लाल मिर्च पाउडर (उज्जवल ब्राण्ड) का सैम्पल K-1721 जांच रिपोर्ट क्रमांक:- L.S./420/Act/2023/420 Dated 11.04.2023 द्वारा **Misbranded Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने उक्त मिर्च में सुधार कर लिया है भविष्य में प्रार्थी ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा प्रार्थी के साथ नरमी का रुख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी लोक अदालत की भावना से प्रेरित हो कर अपना जुर्म स्वीकार करता है प्रार्थी के साथ नरमी का रुख अपनाते हुये प्रार्थी के वाद का आज ही निस्तारण किया जावे आपकी अति कृपा होगी

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "Red Chilli Powder(Ujjawal)" bearing Code No and Sr. No. K-1721, of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is Misbranded Food Under Section 3(1)(zf)(C)(i) of Food Safety and Standards Act-2006 की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री इन्द्रजीत, मैसर्स- श्री बालाजी इन्टरप्राइजेज, शॉप न. 20 रिद्धी सिद्धी इन्कलेव 2, श्रीगंगानगर को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री इन्द्रजीत, मैसर्स- श्री बालाजी इन्टरप्राइजेज, शॉप न. 20 रिद्धी सिद्धी इन्कलेव 2, श्रीगंगानगर को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत राशि रूपये 10,000-00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Signature)
(रीना)

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा.)
अति० श्रीगंगानगर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर